सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S

इजराय प्रार्थना—पत्र संख्याः— **10/2010**   दायर दिनाँकः— **22.03.2010**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. श्री पुर्णाराम पुत्र श्री धन्नाराम 2. श्री भागूराम पुत्र श्री धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी—चुगनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

इजराय प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा आदेश 21 नियम 37 व 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः—

1. श्री ओम प्रकाश मोठ अधिवक्ता, प्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक— **18.12.2017**

इजराय के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि, प्रार्थना—पत्र में वर्णित उक्त वाद पेश हुआ, जिसको दर्ज रजिस्टर संख्या 53/2005 पर दर्ज किया जाकर, निर्णय दिनाँक **09.10.2007** को हुआ।

प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त वाद संख्या **53/2005** निर्णय दिनाँक **09.10.2007** की पालना करवायी जावे। प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना से इस बारे में जरिये पत्रांक राजस्व/10/110 दिंनाक 22.03.2010 रिपोर्ट मांगी गयी कि उक्त निर्णय की पालना में क्या अड़चन है? परन्तु बार—बार इस हेतु लिखने के बाद भी तहसीलदार डीडवाना द्वारा कोई रिपोर्ट अपनी ओर से पेश नहीं की जिससें इसके निस्तारण में विलम्ब का होना रहा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इजराय संख्या–10/2010
दायर दिनाँक 22.03.2010 निर्णय दिनाँक 18.12.2017
श्री पुर्णाराम बनाम् राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 53/2005, अनुवान् श्री पुर्णाराम पुत्र श्री धन्नाराम व अन्य बनाम् सरकार निर्णय दिनाँक 09.10.2007 में की पालना हेतु न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार डीडवाना को प्रेषित कर निर्देश दिया गया था कि निर्णय की पालना करें और इसमें अगर कोई कानूनी अड़चन हो तो इस न्यायालय को अवगत करावें। परन्तु तहसीलदार डीडवाना द्वारा उक्त निर्णय की पालना आदिनाँक तक नहीं की है व न ही ऐसा नहीं करने के लिए किसी कारण से इस न्यायालय को अवगत कराया है।

अतः तहसीलदार डीडवाना को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय हाजा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2005 निर्णय दिनाँक 09.10.2007 की पालना आज ही कर इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश की पालना नहीं करने पर आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (मजिस्ट्रेट)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **18.12.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (मजिस्ट्रेट)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

क्रमांकः–10–2010/रीडर/2018/ 132 दिनांक 6/2/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

इजराय प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा आदेश 21 नियम 37 व 151 सी.पी.सी.

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
1. श्री पुर्णाराम पुत्र श्री धन्नाराम 2. श्री भागूराम पुत्र श्री धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी–चुगनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner